भारत सरकार राज्य सभा
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अतारांकित प्रश्न सं. 356
वाणिज्य विभाग

**दिनांक 04 फरवरी,2022 को उत्तर दिए जाने के लिए**

## कृषि निर्यात में गिरावट

**356 श्री मल्लिकार्जुन खरगेः**

**क्या वाणिज्य और उद्योगमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 2013-14 से कुल कृषि निर्यात में काफी गिरावट आई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) कृषि उत्पादों के निर्यात में इस गिरावट के क्या कारण हैं;
(घ) क्या सरकार ने यह विश्लेषण करने के लिए कोई अध्ययन कराया है कि क्या अंतरराष्ट्रीय मानकों के संदर्भ में कृषि उत्पाद की गुणवत्ता को लेकर कोई समस्या है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)**

(क) से (ग): कोविड-19 के कारण हुए व्यवधानों के बावजूद, कृषि निर्यात 2020-21 के दौरान 17.66% की वृद्धि दर्ज करते हुए 41.87 बिलियन अमरीकी डालर को छू गया। वर्तमान वर्ष के दौरान, अप्रैल-नवंबर 2021 की अवधि के दौरान कृषि निर्यात 31.05 बिलियन अमरीकी डालर रहा है जो 2020-21 की इसी अवधि के दौरान 25.20 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में, 23.21 प्रतिशत अधिक है ।

2014-15 से 2019-20 की अवधि के दौरान, भारत का कृषि निर्यात विभिन्न कारकों जैसे निष्क्रिय और गिरती वैश्विक कीमतों; कच्चे तेल की कम कीमतें जो चीनी, वनस्पति तेलों और अन्य जैव-ईंधन से संबंधित उत्पादों को प्रभावित करती हैं; मंद वैश्विक मांग; खराब घरेलू फसलें (कम रकबा/खराब उपज/खराब गुणवत्ता); घरेलू कीमतों की तुलना में कम अंतरराष्ट्रीय कीमतें; प्रतिस्पर्धी देशों में मुद्रा की गति; रूस और ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों आदि से प्रभावित हुआ।

(घ) और (ड.): हालांकि कृषि निर्यात को प्रभावित करने वाले गुणवत्ता के मुद्दों पर कोई अध्ययन नहीं किया गया है परंतु यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाए गए हैं कि भारत का कृषि निर्यात आयात करने वाले देशों की गुणवत्ता आवश्यकताओं को पूरा करे। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) और विभिन्न कमोडिटी बोर्ड नियमित रूप से विभिन्न उत्पादों के लिए आयात करने वाले देशों की विशिष्ट

आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक उपायों पर किसानों और अन्य हितधारकों को शिक्षित करने के लिए आउटरीच और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आयात करने वाले देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशिष्ट उत्पादों और विशिष्ट बाजारों के लिए अनिवार्य परीक्षण और पता लगाने की प्रणाली भी स्थापित की गई है।

विभिन्न आयातक देशों द्वारा कृषि उत्पादों में विभिन्न रासायनिक पदार्थों के बहुत कम अधिकतम अवशेष स्तर (एमआरएल) निर्धारित करने के रूप में कुछ स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी उपाय किए गए हैं। सरकार इन देशों के साथ वैज्ञानिक जोखिम मूल्यांकन और कोडेक्स आदि जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर एमआरएल स्थापित करने के लिए सभी द्विपक्षीय चर्चाओं में इन मुद्दों को उठाती है।

*****